

नोएडा ने डाटा सेंटर, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति को अपनाया



माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डाटा सेंटर, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक की परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में नोएडा ने डाटा सेंटर, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति को अपना लिया है। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया। अब इस नीति को लागू करने के लिए प्राधिकरण ने निवेशकों को आकर्षित करने का काम शुरू किया है। इस पर अमल करने के लिए प्राधिकरण के बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि डाटा सेंटर पार्क और इकाईयों को तीन फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) के अलावा एक और एफएआर की अनुमति दी जाएगी। यह खरीद योग्य एफएआर होगा। डाटा सेंटर को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं।

वहीं डाटा सेंटर के मामले में बेसमेंट में डीजल जेनरेटर सेट्स के उपयोग को एफएआर का हिस्सा नहीं माने जाने, डीजल जेनरेटर सेट की स्थापना के लिए एफएआर से अलग और अतिरिक्त 40 प्रतिशत बढ़ाए जाने तथा डीजल जेनरेटिंग सेक्ट की स्थापना हेतु फ्लोर एरिया रेशियो के उपयोग का विकल्प प्रदान किए जाने का प्रस्ताव जन सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त कर भवन विनियमावली में समाहित किया जाएगा। वहीं शासन के निर्देशों के बाद आगे कदम बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा डाटा सेंटर संबंधी परियोजनाओं के क्रियाशील योग्य इकाईयों के लिए न्यूनतम निर्माण के बाद तकनीकी परीक्षण होगा। इसके बाद आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र

नई परियोजनाओं के लिए वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक परियोजना होगी जरूरी

प्राधिकरण के बोर्ड का यह मानना है कि नोएडा क्षेत्र में विकसित हो रही अवस्थापना सुविधाओं जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बड़े औद्योगिक और निर्माण इकाईयों की स्थापना को ध्यान में रखते हुए वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक के लिए जमीनों की जरूरत होगी। यही वजह है कि इसकी कवायद को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति के प्रावधानों को अपनाया गया है। इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भूखंडों के आवंटन की योजना लाई जाएगी।

विदेश दौरे में इन्हीं के लिए हुआ है निवेश समझौता

सिडनी और सिंगापुर दौरे में यूपी सरकार को जितने निवेश मिले हैं, उनमें अधिकांश निवेशक यहां डाटा सेंटर, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक परियोजना में निवेश करना चाहते हैं। लिहाजा प्राधिकरण की कोशिश होगी कि इनको सुविधा प्रदान करने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भूखंडों को चिह्नित किया जाए और पूरी तरह से संसाधनों को विकसित किया जाए।

जारी किए जाने का संशोधन भी जन सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त कर शासन के निर्देशों के क्रम में भवन विनियमावली में जोड़ा जाएगा।